पीठासीन अधिकारी :— जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 107/2024

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

1. महावीर पुत्र भागीरथ पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. महेन्द्र पुत्र भागीरथ पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र हरचन्द पुत्र भागीरथ पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. शारदा देवी पुत्री भागीरथ पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैक खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
5. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

— प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री परविन्द्र सिंह —वकील वादीगण
2. श्री कैलाश सिंवल—वकील प्रति.सं.1ता2

निर्णय दिनांक :— 4.3.2025

वादीगण महावीर वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के विरूद्व यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 20.03.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिंता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 11 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2071—2074 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 45/46 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 1.518 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.759 हैक० नहरी कृषि भूमि इसी प्रकार चक 12 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2072—2075 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 65/54 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 3.542 है. नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.771 है. नहरी कृषि भूमि एवं चक 16 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2075—2078 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 62/74 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 2.108 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.054 है. नहरी/बारानी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि के दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादपत्र की चरण सं. 3 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की वंशावली को दर्शाया गया है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की विरासतन व जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीया संख्या 2 का जन्म से ब.हि.व हक व हिस्सा वनता है। प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 पुत्री है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादीया संख्या 2 में अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि चक 11 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2071–2074 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 45/46 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 1.518 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.759 है० नहरी कृषि भूमि इसी प्रकार चक 12 पी.टी.पी. जमाबन्दी संवत 2072–2075 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 65/54 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 3.542 हैय. नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1771 हैक० नहरी कृषि भूमि एवं चक 16 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2075–2078 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 62/74 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 2108 हैक नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.054 हैक० नहरी/बारानी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में जिस पर प्रकार से जन्म हक व हिस्सा विरास्तन बनता है उसका परित्याग प्रतिवादीया संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण के हक व हिस्सा में ब.हि.व परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीया संख्या 2 अपना विरास्तन हक व हिस्सा अपने पास नही रखना चाहती है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादीया संख्या 2 के हक हिस्सा के हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि का अर्सा पूर्व घरू बंटवारा कर लिया था बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य अचल सम्पतियां प्राप्त कर ली थी तथा वादीगण को चक 11 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2071–2074 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 45/46 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 1.518 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.759 है० नहरी कृषि भूमि ब.हिब प्राप्त हुई है। इसी प्रकार चक 12 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2072–2075 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 65/54 खाता भागीरथ वगेरा में दर्ज कुल खाता 3542 है. नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.771 है40 नहरी कृषि भूमि ब.हि.ब प्राप्त हुई तथा चक 16 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2075–2078 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 62/74 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 2.108 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.054 है० नहरी/ बारानी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि के बहि.ब प्राप्त हुई है इसी अनुसार वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत वर्तमान में किसी प्रकार कोई विवाद नही है कृषि भूमि वर्तमान में प्रत्तिवादी सख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण के अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है तथा वादीगण सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याण कारी योजनाओ से वंचित हो चुके है। उपरोक्त तथ्यो के विवेचण व विश्लेषण से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन वादीगण के पक्ष में बना हुआ है। वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से अलग–2 निवेदन किया कि वे वाद पत्र की चरण संख्या 6 व 7 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होना मान लेवे तो प्रतिवादीगण वादी के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इंकार हो गये।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 व 5 जवाब स्टेट पेश कर राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित जमाबन्दी चक नं. 11 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2071–2074 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 45/46, चक 12 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2072–2075 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 65/54 एवं चक 16 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2075–2078 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 62/74 EX-1 To EX-3 प्रदर्श पेश हुई। साक्ष्य वादी में वादी महावीर का शपथ पत्र

Scanned with OKEN Scanner

आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 46/44 जं.सं. 2067–70, चक नं. 12 पी.टी.पी. खाता सं. 39/42 जं.सं. 2020–23 एवं चक नं. 16 पी.टी.पी. खाता सं. 55/54 में प्रतिवादी सं. 1 के पिता हरचंद पुत्र रामधन के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

चक नं. 11 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2071–2074 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 45/46, चक 12 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2072–2075 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 65/54 एवं चक 16 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2075–2078 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 62/74 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादीगण सं. 1 भागीरथ के नाम दर्ज है। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी का विरोध नही किया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की ओर से स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक आराजी है जिस पर वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व है। अभिभाषक वादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है।

न्यायालय के मत में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री जारी किया जाना उचित है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 11 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2071–2074 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 45/46 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 1.518 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 0.759 हैक० नहरी कृषि भूमि इसी प्रकार चक 12 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2072–2075 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 65/54 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 3.542 है. नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.771 है. नहरी कृषि भूमि एवं चक 16 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2075–2078 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 62/74 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 2.108 है. नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.054 है. नहरी/बारानी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.3.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 107 / 2024

1. महावीर
2. महेन्द्र

} पि0 भागीरथ पुत्र हरचंद समस्त जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र हरचन्द पुत्र भागीरथ पुत्र हरचंद
2. शारदा देवी पुत्री भागीरथ पुत्र हरचंद

} जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.

3. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैक खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया
5. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 4.3.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक वादीगण व श्री कैलाश सिवंल अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 11 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2071–2074 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 45 / 46 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 1.518 है. नहरी कृषि भूमि में से 1 / 2 हिस्सा अर्थात 0.759 हैक० नहरी कृषि भूमि इसी प्रकार चक 12 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2072–2075 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 65 / 54 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 3.542 है. नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में से 1 / 2 हिस्सा अर्थात 1.771 है. नहरी कृषि भूमि एवं चक 16 पीटीपी जमाबन्दी संवत 2075–2078 जमावन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता संख्या 62 / 74 खाता भागीरथ वगैरा में दर्ज कुल खाता 2.108 है. नहरी कृषि भूमि में से 1 / 2 हिस्सा अर्थात 1.054 है. नहरी / बारानी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। खर्चा मुकदमें के मय निज X निल X मुब्लिक X निल X बाबत X निल X को अदा करें। शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X को जारी किया बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4.3.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Scanned with OKEN Scanner